

DR. RATNAKAR PANDEY: The whole House associates itself with it.

SOME HON. MEMBERS: We want to associate ourselves with it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Those who want to associate themselves with it can do so. There is no problem. In any case, let me say...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I suggest let the feeling of the House be conveyed to the Government and let the Government be called upon...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Why don't you leave it to me. Let me conclude my observation. The simple point is that we have a very powerful press, a very respectable press, in this country...

SHRI SUKOMAL SEN: But it will be gagged.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Please don't gag me. Please don't try to gag me...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: You cannot be gagged.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I am sure the two Ministers who are sitting here have heard the Members expressing their views. They will take all the facts and circumstances into consideration and accordingly take such steps which continue to ensure that the country has a strong powerful, independent press. That is all.

SHRI KAPIL VERMA: They should assure us that they will reconsider it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): That is over now. Now I go to the next item...

डा० अब्दुल अहमद : उपसभाध्यक्ष महोदय, पीलीभीत कांड के सिलसिले में इस सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि इस बारे में सूचना एकत्र करके एक वक्तव्य दिया जाएगा लेकिन अभी तक कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है। जितने भी दल वहाँ पर गए हैं सबने यह रिपोर्ट दी है कि वह फेक एनकाउंटर था।

इसलिए उन दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दफा 302 के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना चाहिए लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी कब इस संबंध में वक्तव्य देंगे?

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE CONSUMER PROTECTION - (AMENDMENT) ORDINANCE, 1991.

II. THE CONSUMER PROTECTION (AMENDMENT) BILL, 1991—Contd.

SHRI RAJ MOHAN GANDHI (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I am speaking on the Consumer Protection (Amendment) Bill. The Bill has been necessiated because of the Ordinance which was issued which has to be replaced. The Act provided for a machinery or the redressal of consumer grievances and part of the machinery were District Forums and State Commissions and then there was a judgement from the National Commission which was set up under the Act. Due to this recent judgement orders not signed by all the State Commission members of the District Forum were to be treated as null and void. This would have caused difficulty to the consumers. And therefore, the Ordinance was brought and now the Government brings forward the Amendment Bill to replace the Ordinance. When this Bill was introduced in 1986 the then Minister, Shri Bhagat, called it a landmark in the field of socio-economic legislation in the country and a good deal of enthusiasm was created at the time.

But, now, it is a fact that people have got disappointed and disillusioned. For one thing only a tiny percentage of our population gets any benefit whatsoever from this Act. The poor man is not a consumer who buys. He is not a consumer who can move the District Forum and hence the vast majority of our people are left out of this supposedly protective umbrella. This Act provides no protection against poverty, or against unemployment. It provides no protection from what Shri Manmohan Singh did to us—it provides no protection against his Budget. It does

[Shri Raj Mohan Gandhi]

not provide any protection against the kind of thing we just heard, i.e. the anti-freedom of the Press hike, the hike in newsprint prices.

We also have to admit, Mr. Vice-Chairman, that this Act provides no protection against us politicians. It is the politicians who make promises in their manifesto to the people. It is they who approach the people, the consumers, with their product, namely, their policies... (*Interruptions*)... The politicians, through their manifestoes, also make promise which are not fulfilled and this too is a deception of the consumer and the citizen against which the Act provides no protection.

This Act provides no protection from the television ads which reach tens of millions of people at any one time. We are told about a toothpaste that makes the teeth bright, strong, symmetrical your breath alluring and your personality irresistible. This is the impression one gets from these television ads. We are told through these TV ads about a hair tonic that does wonder to your hair. These television act are aided by blowers and other special effects. We are told of rubbing creams that can seemingly take care of fractures due to falls, rheumatism and arthritis, of facial creams that also perform magical wonders, of edible powders that can turn your child into a prodigy who wins the applause of the world. These are the kinds of deceptions that the Act does not provide protection against.

Mr. Vice-Chairman, the disappointment and disillusionment today exist because of some other factors also. One is the limited area covered. Till the end of March, 1990, Bihar had only one Forum. The Minister told us that now there are some more. Till the end of March, 1990, Maharashtra had only one Forum. Tamil Nadu had none, Madhya Pradesh had none and Karnataka had none. At the end of August, 1990, the redressal machinery envisaged under the Act functioned only in 19 States or Union

Territories. Yesterday, the Minister in his introductory remarks told us about how a complaint has to be disposed of in three months or, if laboratory tests were involved, in five months. But what is the reality? I will give you an example. In 1989, 397 complaints were filed in the whole of Gujarat and 79 complaints were disposed of. In 1990, 149 were filed and 56 were disposed of. So, the total number of complaints disposed of in two years in Gujarat is only 135 whereas 397 complaints were filed by the complainants in the first year. Therefore, this three-month period or the five-month period exists only on paper and it does not function in reality.

Then, there is this difficulty that the right people, conscientious people, pro-consumer people, are not selected for membership of the Forums or the Commissions. Very often members do not come to the meetings and the hearings of the Forums and the Commissions and this has posed a dilemma. The Judge, because a Judge is always a member of these Forums and Commissions, is generally present and, therefore, he uses the opportunity to decide without the other members being present. This was the reason for the proceedings which led to the judgment of the National Commission that all earlier decisions might be null and void and hence the Ordinance came. So, there is a clear dilemma. The non-legal, non-judicial, members of these Forums and Commissions have not attended these hearings all the time and hence the decision to bring forward the Ordinance and now the amending Bill. This is the reason given, namely, if some people are absent, you have to empower two people out of three to make the decision. But what the Government has not done is to make a determined effort to invite, to locate, concerned citizens who doubtless exist and who will assume responsibility and apply the Act in the right spirit. Otherwise, you will have legalistic decisions as you have had legalistic decisions in these Forums and Commissions and they go against the consumers, but spare the cheats, the defrauders and the deceivers.

Another great failing of the present Act is that it does not allow interim reliefs and when a complainant, the ordinary consumer or a voluntary organization cannot get interim relief, but has to keep on going to the hearings week after week, month after month, and for years, then the whole purpose is defeated. So, the grant of interim relief is something that should be provided for. A complainant may go to the Forum or Commission on his own or her own behalf, but a complainant may refer to the defrauding of a very large class of people and, as far as I understand, the Act does not allow any collective claims. As far as I know, collective claims have so far not been conceded by any State Commission. I may be wrong. But this is an important area that has to be looked into.

Then, there is a general weakness. There are hikes, sudden hikes, in the charges relating to electricity, telephone, transport, banking, insurance, posts and telegraphs, etc. These hikes occur not because of an increase in costs, but merely to add to the Government's coffers. The consumer is not protected against these sudden and steep hikes and there has to be a clear provision on this score if we are serious about consumer protection.

Sir, the Prime Minister, shortly after assuming office, spoke about the public distribution system and of his determination to make the public distribution system efficient and take its benefits to the common man. But, in these last several days and weeks, have we seen any sign of that? Unless the Government comes forward with a determined effort on the public distribution system relating to foodgrains, fertilizers and other essential commodities, we can never take its commitment to consumer protection seriously.

3.00 P.M.

At the end of December 1986, Shri Bhagat, the Minister at the time, said, and I quote:

"Gradually as time proceeds, we will certainly go to the block level and the village level with this forum and Commission."

In fact, you have not even gone to the district level. In Delhi you have only one congested forum with a huge backlog of arrears. In the whole of Delhi where the largest number of complaints are filed you have only one congested forum with a huge backlog of cases.

In short, Mr. Vice-Chairman, there is every reason to be disappointed and disillusioned, and I cannot, therefore, be excited about this amendment that you have brought before the House. Thank you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय उपभोक्ता संरक्षण कानून की जब बात होती है तो लगता है कि जैसे हमारी दुखती रगों पर हाथ रख दिया गया है। आज चारों तरफ लूट, मनाफाखोरी, जम खोरी, जखीरेबाजी और मिलावटबाजी का साम्राज्य है। ऐसे में जब हम उपभोक्ता संरक्षण कानून की बात इस सदन में बैठ कर करते हैं तो लगता है कि जैसे हम सात समुद्र पार किसी और देश की और किसी और समाज की चर्चा कर रहे हैं।

हमारे देश में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए एक नहीं दर्जनों कानून बने हुए हैं—इंडियन कंटेक्ट एक्ट 1872, सेल्स आफ गुड्स एक्ट 1930, दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ग्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग एक्ट 1937, एसेशियल कमोडिटी एक्ट 1955, मोनोपोलीज एण्ड रेस्ट्रिक्टिव एण्ड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पालिसी एक्ट 1969, प्रिवेंशन आफ ब्लैकमार्केटिंग एण्ड मैटेनेन्स आफ सप्लाय आफ एसेशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 इत्यादि—इस तरह के कई कानून बने हुए हैं। इन कानूनों के ढेर को देखकर मझे उन पांच ग्रंथों की कहानी याद आती है जिन पांच ग्रंथों ने हाथी के जिस अंग को छुआ था उसी को सम्पूर्ण हाथी समझ लिया था। लेकिन वे हाथी की मुकम्मल तस्वीर नहीं बना सके थे। इन्हीं कानूनों की श्रृंखला में यह 1986 का उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। इसके पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अप्रैल, 1985 को उपभोक्ताओं के हितों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया था। उसी प्रस्ताव की तर्ज पर 1986 में हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून

श्रीमती सरला माहेश्वरी:

बनाया गया और 1987 में उसके नियम और कायदे-कानून बनाये गये। उसकी तर्ज पर राज्यों में, जिलों में और राज्य स्तर पर और जिला परिषद स्तर पर आयोगों और मंचों का गठन किया गया।

जब यह विधेयक आया तो यह आशा की गई थी कि इस विधेयक के जरिये जो कानून बनेगा, कम से कम वह हमारे उपभोक्ताओं की मुकम्मल समझ कायम करने में मददगार होगा, क्योंकि इस विधेयक को लाते वक्त तत्कालीन खाद्य और आपूर्ति मंत्री श्री एच०के०एल० भगत ने बड़े-बड़े दावे किये थे और उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री की पीठ भी कम नहीं थपथपाई थी कि उन्होंने हमारे देश में विधान के क्षेत्र में एक नये युग का सुत्रपात इस विधेयक को लाकर किया है जिसको हम एक नये युग का अवतरण कह सकते हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस विधेयक के बारे में इतने बड़े दावे किये गये थे और श्री एच०के०एल० भगत ने जो कुछ कहा था उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगी। उनका इस विधेयक के बारे में दावा था कि यह विधेयक देश के सामाजिक, आर्थिक विधान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय कदम है। उपभोक्ताओं के संरक्षण से संबंधित विषय पर किसी भी अन्य कानून को हटाने के बजाय यह व्यापक विधेयक एक योगदान है और यह विधेयक दर्शाता है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को आगे बढ़ाया जाय। श्री भगत ने इस विधेयक के बारे में यह भी कहा था कि यह विधेयक उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए एक आवश्यक वैधानिक मंच का निर्माण करेगा और सिर्फ मंचों का ही निर्माण नहीं करेगा बल्कि स्वयंसेवी उपभोक्ता आन्दोलन को भी शक्ति प्रदान करेगा। श्री भगत ने कहा था कि यह विधेयक सब के लिए है और किसी के खिलाफ नहीं है। उसके बाद पांच वर्षों का लम्बा समय बीत चुका है। गंगा से काफी पानी बह चुका है और अब हम इस स्थिति में हैं कि इस बात के लिए तहकीकात कर सकें कि जिस विधेयक को लाते समय इतने बड़े-बड़े दावे किये गये थे उन दावों की असलियत क्या है?

हकीकत क्या है, जिस युग के अवतरण के खातिर की गई थी, सपना उन्होंने दिखाया वह युग अवतरित हुआ या नहीं हुआ, यदि हुआ तो कितना हुआ।

वह युग कितना अवतरित हुआ है इसका प्रमाण तो हम सरकार द्वारा लाए गए यह संशोधन हैं। इसके मूल ढांचे में इतनी त्रुटियां थीं कि इसकी स्थिति एक ऐसे योद्धा की तरह थी जिसे तमाम हथियारों से सुज्जित कर के युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया था लेकिन जिसके हाथ-पांव बांध दिये गये थे वह ठूठा जंगल्लाथ कुछ काम नहीं कर पाया। पांच वर्षों तक इस कानून के तहत जितने आयोग बने, जितनी परिषदे बनीं, जितने मंच बने वह तमाम के तमाम निष्प्रभावी साबित हुए।

जहां तक इस बात का सवाल है कि यह उपभोक्ता संरक्षण कानून अच्छी तरह काम कर सके, इसमें जो खामियां हैं उनको सुधारा जा सके, इसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल दूसरा है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस विधेयक को लाने समय हमारे हिन्दुस्तान के सामाजिक यथार्थ की पड़ताल की गई थी? हमारा हिन्दुस्तान कोई यूरोपीय समाज नहीं है। हम जिस समाज में रहते हैं आज के ही अखबारों में आपने देखा 1987 के आंकड़े हैं कि हिन्दुस्तान में 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते थे। उसके बाद में कितने और बड़े हैं इसके बारे में मालम नहीं है। तो एक ऐसा समाज जिसमें लगभग 50 प्रतिशत लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे रहते हैं, हिन्दुस्तान विश्व में सब से अधिक निरक्षरों का देश है उस हिन्दुस्तान में उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात करते हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि आप कौन से उपभोक्ताओं के संरक्षण की बात करते हैं? क्या उपभोक्ता एक समजित इकाई है, होमीजीनस इकाई है? उपभोक्ता की एक श्रेणी वह है जो दो जून की रोटी के लिए खाने के लिए, सुबह चल्हा जलता है तो शाम को जलेगा या नहीं जलेगा, इसके लिए दिन रात जूझता रहता है और एक

उपभोक्ता वह है जो विलासिता की चीजों के लिए भटकता रहता है। तो कौन से उपभोक्ता की बात आप कर रहे हैं? अगर हमारी सरकार का और तत्कालीन खाद्य मंत्री का ध्यान भारत की 80 फीसदी जनता की तरफ गया होता, जो उपभोक्ता गरीबी की सोमा रेखा के नांचे रहता है उसकी ओर ध्यान गया होता तो निश्चित रूप में इस विधेयक में हमारी गरीब जनता के लिए सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का उल्लेख होता। उसका विस्तार करने की बात, उसको मजबूत करने की बात निश्चित रूप में इस विधेयक में होती। माननीय मंत्री महोदय जब यह विधेयक ले कर आए थे उनके जहन में इस तरह की कोई बात काम नहीं कर रही थी

आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की तर्ज पर यह उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लाया गया था, उस संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में जो लक्ष्य रख गये हैं उनको थे आपके सामने उद्घटित करना चाहूंगी—

"To facilitate production and distribution pattern responsive to the needs and desires of the consumer."

उपसभाध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में यह नीति निर्देशक प्रस्ताव का लक्ष्य है लेकिन हमारे यहां जो विधेयक लाया गया उस में इस प्रस्ताव के अन्य लक्ष्यों को तो घुमा-फिरा कर शामिल किया गया है लेकिन इसी एक लक्ष्य को छोड़ दिया गया। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में उन उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए जो हमारे देश की आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा हैं उनके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कितनी अहमियत है। इसके लिए सिर्फ आपके सामने चंद तथ्य रखना चाहूंगी। महोदय, वामपंथी पाटियां लम्बे अर्से से इस बात की मांग करती आ रही हैं कि रोजमर्रा की 14 आवश्यक चीजों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में अंदर लाना चाहिए। हमारा समाज एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है, मुद्रास्फीति से जूझ रहा है। अगर

हम अपनी व्यापक जनता के जीवन स्तर को थोड़ा सा भी बनाये रखना चाहते हैं तो इसके लिए एक मात्र यही गारंटी हो सकती है कि हम अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करें।

हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण में हमारे सामने आया है उस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया गया है, औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में एक तालिका दी गयी है। उस तालिका को आप देखें तो यह पाएंगे कि हमारे मजदूर, हमारे आम आदमी की आमदनी का अधिकांश भाग सिर्फ खाद्यान्नों के क्रय में लग जाता है। उपभोक्त मूल्य सूचकांक में 1989-90 में जो वृद्धि हुई उस वृद्धि में अकेले खाद्य पदार्थों का भाग 46.6 प्रतिशत है और 1990-91 में यह बढ़कर 68.9 प्रतिशत हो गया। अब आप कल्पना करिये कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में होने वाली यह वृद्धि अकेले खाद्य पदार्थों की है जिसका अनुपात इतना बढ़ गया है। ऐसे में हमारे आम उपभोक्ता की हालत क्या होगी। रिजर्व बैंक आफ इंडिया का हाल का जो बुलेटिन (जन 91) प्रकाशित हुआ है उसमें यह कहा गया है कि 1990 की जनवरी के अंत से लेकर 1991 की जनवरी में अकेले खाद्य पदार्थों की कीमतों में 22.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। खाद्य तेलों की कीमतें 39.7 प्रतिशत बढ़ीं, सरसों के तेल के दामों में 71.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से रोजमर्रा की तमाम जरूरी सामग्रियों में जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उनके बारे में रिजर्व बैंक और आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 1990-91 में मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता का मुख्य कारण यह है कि खाद्यान्न, सब्जियों, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में लगातार वृद्धि होता रहा है और यह वृद्धि पिछले तीन वर्षों से संतोषजनक मानसून के बावजूद भी जारी रही है। इसलिए सवाल यह है कि हम जान से उपभोक्ता संरक्षण की बात कर रहे हैं।

महोदय, अगर समाज में हम एक इलिस्टिबल बना लेकर चलते हैं, कुलीनतावादी जूना लेकर चलते हैं तो हम अपने व्यापक उपभोक्ताओं को संरक्षण नहीं दे

[श्रीमती सरला महेश्वरी]

सकते हैं। यह कानून किस तरह से काम कर रहा था, इसके तहत बनाये गये मंच और आयोग जिस तरह से काम कर रहे थे उसके विषय में राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष श्री इराडी ने इशारा किया है। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि किस प्रकार से जिला स्तर पर बनाये हुए फोरम, राष्ट्रीय स्तर पर बनाये हुए आयोग, ये तमाम आयोग, मंच और परिषदें बिल्कुल निष्प्रभावी साबित हुई हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीय आयोग बना हुआ था उसके चार सदस्य होते हैं कानून के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का एक जज, निवर्तमान हो या वर्तमान हो, इसके अलावा और तीन सदस्य जिनमें एक सदस्य महिला सामाजिक कार्यकर्त्री होती है। इसके दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, वे सेवा निवृत्त हो गये, उसके बाद एक और सेवा निवृत्त हो गया, इसके बाद तीन सदस्यों की फिर से नियुक्ति नहीं की जा सकी, इसलिए यह पंगु बन गया है। इसी तरह का उदाहरण दिल्ली मंच के बारे में मिलता है। तीन सदस्य थे, दो सदस्य सेवा निवृत्त हो गये, बचा एक सदस्य, सिर्फ सामाजिक कार्यकर्त्री, वह कोई काम नहीं कर पाई। उस मंच के पास 2500 के करीब कैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं। जिला स्तर पर बने हुए तमाम के तमाम आयोग निष्प्रभावी साबित हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आयोग ने एक अभूतपूर्व फैसला सुनाया कि जब तक चारों सदस्य एक साथ हस्ताक्षर नहीं करते किसी फैसले पर तो वह फैसला अमान्य होगा। तो वह फैसला अमान्य होगा। अब हालत यह हुई कि इससे पहले राज्य आयोग ने तथा जिला मंचों ने जो फैसले सुनाये थे, उसमें सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे और यह संभव भी नहीं कि एक साथ सभी सदस्य उपस्थित हों। तो अब तक जितने फैसले सुनाये गये थे, वह सारे के सारे निरस्त हो गये। तो इन पांच वर्षों में जो कुछ किया-कराया, वह किया-कराया भी फालतू साबित हो गया।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, सवाल यह है कि हमारे यह आयोग, हमारे यह मंच,

जिनको हमने व्यापक जनता को संरक्षण देने के लिये बनाया है, क्या यह वास्तव में काम कर रहे हैं और अगर काम कर रहे हैं, तो वह किस हद तक काम कर रहे हैं।

इसलिए, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि मैंने जो संशोधन पेश किया है, वह संशोधन इस मूल बात को रेखांकित करता है कि अगर हम, हमारी सरकार और यह सदन भारत के व्यापक उपभोक्ताओं के प्रति थोड़ी सी भी जिम्मेदारी का बोध करता है, अगर जनता के प्रति वह प्रतिबद्ध है, जनता की जरूरतों के प्रति, तो निश्चित रूप से हमारा यह दायित्व बनता है कि हम सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत करें। वितरण व्यवस्था को मजबूत किये बिना हम उपभोक्ताओं के संरक्षण के कितने ही बड़े-बड़े दावे करें, लेकिन वह तमाम दावे खोखले साबित हो जायेंगे।

इसके साथ ही मैं यहां एक और बात पर बल देना चाहता हूं। इस बात की जरूरत है—होता क्या है कि आये दिन हम अखबारों में देखते हैं कि सरकारी दुकानों पर सड़े हुए अनाज की बिक्री होती है। यह रोज-मर्रा की घटना है। अभी हाल में इस तरह के तथ्य प्रकाशित हुए, सरकार की नजर में आए, सरकार ने एफ०सी०आई० पर जांच कमेटी भी बिठाई और जो जांच कमेटी बनी, उसने यह सिफारिश की कि यह जो सड़ा हुआ अनाज है, इसको इनसानों के बीच में नहीं बांटा जाए। इसको दूसरे रंग में रंग दिया जाए, ताकि यह मवेशियों के तो काम में आ सके, लेकिन इनसानों के काम में न आए।

उस सिफारिश पर कितना अमल हुआ, यह तो सरकार के अफसर ही जानते होंगे, या हम लोग जो रोज वह मिलावटी आटा जो राशन की दुकान में मिलता है और हम खाते हैं, वह अच्छी तरह से जान सकते हैं।

तो मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे समूचे उपभोक्ता समाज के संरक्षण के लिए एक कुलीनतावादी नजरिये से काम

नहीं चल सकता, एक इलीटिस्ट नजरिये से काम नहीं चल सकता। अगर हमने अपने समाज की वास्तव में पड़ताल करनी है, अगर हमने उस 80 फीसदी उपभोक्ता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ख्याल है, तो निश्चित रूप में हमें इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायर को और बढ़ाना होगा।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि जो मेरा संशोधन है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रोजमर्रा की चीजें जल्दरी सामग्री, मसलन, खाद्यान्न, चीनी, तेल, नमक, माचिस, सस्ता कपड़ा, दालें, चय, बच्चों का दूध, धुलाई का साबुन, कोयला और किरासिन की तरह का ईंधन, कागज, सीमेंट और दवाइयों को उचित दाम पर आपूर्ति करनी पड़ेगी।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं समझती हूँ कि यह सब से महत्वपूर्ण काम है, लेकिन हमारी सरकार आज जिन नीतियों पर चल रही है, आज जिस नई औद्योगिक नीति की हम बात कर रहे हैं, आज जिस तरह से विश्व बैंक, आई०एम०एफ के इशारों पर हमारे अर्थ नीति को निर्देशित किये जाने की कोशिश हो रही है, उसमें निश्चित रूप से हमारा उपभोक्ता सब से ज्यादा संकट में घिर गया है। वह उपभोक्ता अपने जीवनमान को बनाये रख सकेगा या नहीं। यह प्रश्न आ खड़ा हुआ है।

इस विधेयक में और भी त्रुटियाँ हैं। मैं चाहती हूँ कि उनको संशोधित किया जाए। एम०आर०टी०पी० एक्ट के तहत तो यह सुविधा है कि जो शिकायत लेकर जाता है, उसको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यही सुविधा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक में नहीं है। आप देखेंगे कि आजकल पैकेट में सामग्रियाँ मिलती हैं और उन पैकेट्स के ऊपर लिखा रहता है—कीमत के साथ एक पुच्छला जोड़ दिया जाता है कि स्थानीय कर अतिरिक्त, और इस स्थानीय कर अतिरिक्त के नाम पर हमारे ग्राहक से 10-15 प्रतिशत पैसा अतिरिक्त वसूल कर लिया जाता है।

अब वह हमारा ग्राहक कहां जाए, कहां पड़ताल करे कि उसके साथ धोखा हुआ है, इसकी कोई गंजाइश वहां नहीं है।

अंत में मैं यह चाहती हूँ कि हमारे मंत्री महोदय, जो यहां बैठे हुए हैं इस उपभोक्ता संरक्षण विधेयक के बारे में सिर्फ यह सरकारी संशोधन ही न स्वीकार करें, बल्कि वह संशोधन जो मैंने रखा है, मैं पूरे सदन से यह अपील करना चाहूंगी कि यह हमारा सदन इस संशोधन को स्वीकार करे, क्योंकि तभी हम अपनी जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को, हमारी गरीब मेहनतकश जनता के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर सकेंगे। उपसभाध्यक्ष महोदय, कल जब माननीय मंत्री महोदय बोल रहे थे तो चेयर पर बैठे हुए उपसभाध्यक्ष महोदय श्री शंकर दयाल सिंह जी कह रहे थे कि मंत्री महोदय का मैडन स्पीच है इसलिए मैडन स्पीच में टोका-टाकी नहीं चलेगी। यह हमारे सदन की परंपरा है। अच्छी बात है कि अगर मैडन स्पीच है तो टोका-टाकी न की जाए, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदय, सवाल मैडन स्पीच का नहीं था सवाल हमारी जनता के व्यापक हितों से जुड़ा हुआ था, उसकी जिन्दगी से जुड़ा हुआ था, उसकी जिन्दगी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे वाल्टर स्काट की कविता की यह पंक्ति याद आ गई।

"We shall be the maider's fate
Who shall be the maiden's mate?"

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी
मासांदकर) [पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम कि भारत की जनता इनका कहां तक साथ देगी इस विधेयक के जरिए, अगर वह व्यापक 80 फीसदी जनता के हितों को कोई संरक्षण नहीं दे पाते तो आपका साथ तो शायद ही कोई दे पाए, यह सदन कितना दे मैं नहीं जानती।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी प्रस्तावना के साथ, कल ही प्रेमचंद को जयन्ती मनाई गई, जो बात प्रेमचंद ने साहित्य के संदर्भ में की थी कि हमें सौंदर्य के

[श्रीमती सरला महेश्वरी]

मानदंडों को बदलना होगा और मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहती हूँ कि हमें उपभोक्ताओं के संदर्भ में अपने मानदंडों को बदलना होगा। अगर उपभोक्ताओं के संदर्भ में हम अपने मानदंडों को नहीं बदलेंगे तो उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री महोदय इस तरह के कितने ही विधेयक ले कर आयें और कितने ही विधेयक पास हो जायेंगे, लेकिन हमारी गरीब जनता का जीवन जहाँ है वही बना रहेगा। उसकी जिन्दगी और उसका अस्तित्व हमेशा खतरे में रहेगा। इसलिए उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को इसी प्रस्तावना के साथ खत्म करती हूँ। कि उपभोक्ताओं के संदर्भ में अपने मानदंडों को बदल और गरीब मेहनतकश अवाम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करें। अगर वह ऐसा दावा करते हैं कि हमारी सरकार गरीब जनता के प्रति प्रतिबद्ध है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगी कि हमारे मंत्री महोदय अपने सरकारी संशोधन के साथ-साथ मेरे द्वारा प्रस्तावित इस संशोधन को भी उस विधेयक में स्वीकृति दें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): Sir, let us first ask the question as to who is the consumer. The consumer is the buyer of goods for a consideration, or he is a hirer of services for a consideration. We must understand that anywhere in the world and in any economy, it is the consumer who matters. But it is very unfortunate that the importance of the consumers has not been taken seriously, especially in our country, in the last so many years. It was Shri Rajiv Gandhi who understood, with his foresight, that it is finally the consumers who matter. It was, for this reason, that in 1986, he brought forward this Bill for Consumer Protection. This was enacted in the interests of the consumers, and for that, Consumer Councils had to be set up all over the country, for the settlement of—consumer disputes. But what had happened?

In the first two years, 40 districts were covered out of 455.

But after that, after the Rajiv Gandhi Government, there was no further effort. In fact, the consumers had to move the Supreme Court which directed the setting up of the para within six weeks. This was two years ago. But the progress is very slow. The State Governments have defaulted. Only half of the districts have been covered so far. What I would like to stress is, it is not just a question of enacting a law. It is a question of implementing that law. Are our officers, are our manufacturers, inspired enough to accept this kind of thing? Are they inspired enough to look to the interests of the consumers? It is for this reason we have to see to the protection of the interests of the consumers. How do we save our consumers from blackmarketing? How do we save our consumers from adulteration? How do we save our consumers from monopolists? Of course, there is redtapism in the Government which also comes in the way. How do we save our consumers from redtapism?

Now, when we talk about Consumer Councils, I think, many MPs do not even know that there are these Consumer Councils. The process is so cumbersome. Let us say, I get a medicine and I find it spurious. I think whether it is really worthwhile to go to the Consumer Council. Is it worthwhile to go the Police? Why? The harassment, at every level, is so much to the consumer that he finally reconciles himself to the fact that it is much better to keep quiet and buy a second or third medicine. Therefore, the point is, the whole process has to be made easier. The whole process should be made easier and should be easily available to the consumer in every nook and corner of the country.

Even this particular amendment which has come is because of the decision by the National Consumer Disputes Redressal Commission. They took a decision regarding the order under sub-section (2) of section 14 of the Act and it was felt that the said Act required certain modifi-

cations. These modifications are only of a procedural nature. They are not very important. Even then, if it is not implemented, the whole purpose of the amendment would be defeated.

Sir, protection is there only for the owners. It is for those who own these units and who manufacture these goods. Then, it is for the organised labour. The manufacturer does not bother. The labour also is not serious, is not bothered, whether the quality of the goods is up to the mark. Take, for example, even small things. For example, toys. It should be something which does not hurt the child. But the toys which you get from the market are such that the moment the children handle them, they get hurt. Such kinds of toys are available in the market. What kind of protection are we giving to our children? As I said, it is for the organised labour. Protection is not for the consumer. It is for the organised labour on which nobody has any control. Neither the employer nor the State. They will do whatever they want to do, whether you like it or not. Thirdly, it is for the Government because, the Government has to get the excise. But nobody is responsible. Protection is given to the owner, to the organised labour and to the Government, but not to the consumer.

Of course, the law has been enacted. But it has not been implemented even after six years. All the districts have not been covered. It appears to me that implementation has not been taken seriously. Protection is given to the industry, to the Government and to the worker. We also talk of protection to the farmers. But there is no protection to the consumers, even though they pay through their nose, in regard to the quality of goods they get. If you give me just four-five minutes more, I will not take more than that.

We go to the banks, do we get any services there? They charge heavy service charges now-a-days but the cheques are not cleared for days. They will not even tell you, what happened to the cheque for days and days together. For power

consumption there is a minimum charge. If there is no power, if power is not given, I suffer and pay for it only because there is a minimum charge involved in it. For telephones, many people have said that it does not work, still they have to pay the rent. There is a system that if it does not work for one month continuously and I inform the Department, then only I am given the rebate on that particular telephone charges.

Sir, there are quality controls by ISI. There are also administered prices. We are in an economy of shortages. If we go to an economy of excesses which probably our Finance or the present Government is trying to make, if we have enough supplies of quality goods of all kinds of things, if that really happens in another three-four or five years, this kind of law may not be necessary. Though this law is prevailing all over the developed countries where the economy of excesses is there, the qualities will automatically come, services to the consumer will automatically come, if we have the economy of excesses in our country. If we have monopoly houses either in the Government or in the private sector, the question of improvement in service to the consumer or protection to the consumer will never take place.

The hon. Finance Minister only yesterday said in this august House that in another five to six months the producer will not be allowed to pass on the increased cost to the consumer. I wish it proved true and this will be a definite protection to the consumer. Does it mean that the prices will come back to the earlier level or prices will not at least increase further?

When we talk of prices, the PSUs also have administered prices. What protection has the consumer got from the administered prices? It is the question of mismanagement, inefficient management. Because of those inefficient managements, the cost of their inefficiency is transferred to the consumer. That is the protection given to the consumer.

[Shri Santosh Bagrodia]

We do not have data bank either. If we can have data bank where information is available to the consumer, where a consumer on telephone can be told about the quality of goods available, about the kinds of goods that are available, it will be a good thing. Whether this law is there or not, will the hon. Minister think of having a data bank which should be accessible to every individual in the country? On telephone itself, a particular officer or an individual officer anywhere in the country, in the district, may tell us that these are the things available, these are the qualities available, these are the approximate prices. If that is done, it will be helpful, that itself will be a big service to the country.

Justice V.B. Eradi, president of National Consumer Disputes Redressal Commission has pointed out that in spite of the enactment of laws there was no effective deterrent against the production and sales of spurious goods—in fact there are no statutory provisions which effectively safeguard the consumer against the spurious goods manufacturers.

The National Commission which works like the Supreme Court has no administrative jurisdiction over State Commissions or district forums—the Central Government collects statistical information only when questions are raised in Parliament.

Intensive efforts will be needed on the part of the Central Government to ensure the continuance of the life in the district fora and State Commissions and to save the statute from collapse.

Wide publicity through electronic and print media is very much needed.

With these words I am grateful to you, Mr. Vice-Chairman, to have given me this opportunity.

श्री शिव प्रसाद चनपरिया (अध्यक्ष) : उपसभाध्यक्ष जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का संशोधन जब आया तो मैं बहुत खुश था कि शायद

इसकी वह कमियां दूर कर दी जायेंगी, जिनके कारण भारत की समग्र जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा, यह एकांगी अधिनियम बनकर रह गया है। इस अधिनियम में शहरी जनता को तो कुछ लाभ मिल सकता है लेकिन भारत की देहाती 64 करोड़ जनता को इससे बिल्कुल एक पैसे का भी लाभ नहीं मिल रहा। इसमें जिला मंच फिर राज्य मंच व फिर राष्ट्रीय मंच बनाने की बात कही गई है। जिला मंच में दूर-दराज से आदमी अपनी शिकायत लेकर नहीं जा सकता जबकि अधिकतम शोषण गांव के उपभोक्ताओं का ही हो रहा है। गांवों में आज जो नई-नई हवेलियां बन रही हैं व्यापारियों की, वह केवल उपभोक्ताओं की लूट के कारण बन रही हैं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि मिट्टी का तेल 2 या 3 रुपये लीटर नहीं, 10 रुपये लीटर तक आदिवासी क्षेत्रों में बिक रहा है। वह आदिवासी उपभोक्ता या गांव का उपभोक्ता किस मंच के पास जाए। शासकीय तंत्र सुनकर भी अनसुना कर देता है। तो अधिकतम मात्ता में अगर हमें किसी चीज का संरक्षण करना चाहिए तो वह देहाती उपभोक्ता का करना चाहिए था, लेकिन इस अधिनियम में पहले भी नहीं था और जो संशोधन आज आया है उसमें भी इसका कहीं उल्लेख नहीं है, सिवाय इसके कि बैठक कैसी हो, अध्यक्ष न रहें तो कौन अध्यक्ष बन जाए और कितने सदस्यों के हस्तक्षर हो जायें। एक कार्यवाही की प्रक्रिया तय की गई है, इसको व्यापक नहीं बनाया गया ताकि यह आम जनता के हितों का संरक्षण कर सके।

उपसभाध्यक्ष जी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हाल यह है कि सबसे ज्यादा उपभोक्ता अगर कहीं लूटा जाता है तो वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा लूटा जाता है। मैं गांव का रहने वाला हूँ और गांव की बात मैं ज्यादा जानता हूँ, ज्यादा अनुभव से कह सकता हूँ। 2,41,000 से ज्यादा आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें गांवों में हैं और उन वितरण प्रणाली की दुकानों में जितना सामान शासन द्वारा गल्ला, शक्कर, तेल—यह सब दिया जाता है, उसका आधा हिस्सा भी

वितरित नहीं होता। यह बड़े दुख की बात है और इस तरफ कोई ध्यान इस अधिनियम में नहीं दिया गया है। इसकी भी हम कोशिश करें कि जितना माल दुकानों में भेजा जाना है शासन द्वारा, वह सारा का सारा उपभोक्ताओं को वितरित हो और सही कीमत पर वितरित हो। वही कीमत जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को दी जाती है, उसी कीमत पर, लेकिन वही सामान बाजार में बिकता है उससे दौगुनी कीमत पर। इसका संरक्षण कहाँ है इस कानून में? मंत्री जी अगर इस कानून को कुछ व्यापक बनाते जिसमें आम उपभोक्ता के हितों का संरक्षण किया जा सकता था, तो यह कुछ उपयोगी होता। मेरी नजर में तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जितना भी लोग डंका पीटें कि बड़ा हितकारी है, मैं इसको हितकारी नहीं मानता हूँ। चन्द लोगों का हित किया है इसने, बाकी आम लोग कहाँ गए? 80 करोड़ या 84 करोड़ लोगों का क्या हुआ है इसमें? इसमें व्यर्थ की कसरत की जा रही है। अगर आपको कसरत में कुछ व्यापकता लानी है तो फिर आप इसे इतना व्यापक बनायें कि गांव का एक-एक आदमी, जो पीड़ित हो, उसकी फुहार सुनी जा सके और उसको राहत दी जा सके। दिल्ली में कितने लोग आयेंगे, प्रदेश में कितने लोग आयेंगे या राष्ट्र में कितने लोग आयेंगे मंच के सामने? राष्ट्र में तो दिल्ली के लोग आयेंगे मंच के सामने, बाकी जो राज्य का मंच होगा वहाँ भी कुछ राजधानी के लोग और जैसा अभी सरला बहन ने कहा, वहाँ भी कुछ इलाइट लोग जा पायेंगे लेकिन छोटा आदमी, छोटा उपभोक्ता, जो रोज पीड़ित होता है कीमतों से, व्यापारियों से, उसे इससे कोई निजात नहीं मिलने वाली है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें एक सुझाव है, मैं ज्यादा समय नहीं बोलने वाला हूँ, मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूँ। प्रातः के स्टेट फोरम जो आपका बन रहा है जिसका प्रावधान इस अधिनियम में है, उसके बाद जिले फोरम उसको और नीचे तक ले जाइये, ब्लॉक लेबल पर विकास खण्ड मंच बनाइये आप। जाना तो चाहिए आम पंचायत तक लेकिन कुछ व्यवहारिक

अड़चनें हो सकती हैं इसलिए इसे विकास खण्ड के स्तर तक तो ले ही जाना चाहिए ताकि एक विकास खण्ड के उपभोक्ता वहाँ अपनी शिकायत, अपना किस्सा, दास्तान वहाँ जाकर बता सकें, लिख कर दे सकें और उसका उनको लाभ मिल सके और जब तक यह नहीं होता है तब तक हम अधिनियम पास करते जायेंगे और एक वह पोथी बनकर रह जायेगा। आम जनता को उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शासन से आप कहें कि शासन इस अधिनियम को संशोधित करे, व्यापक रूप से संशोधित करे। केवल बैठक कितनी हों, मंच कितने हों, मंच में कितने मेबर हों यह कोई काम की चीज नहीं है। एक उसमें प्रावधान है कि एक लाख रुपये तक की कीमत के माल की सुनवाई जिला फोरम कर सकेगा, फिर कमशः वह बढ़ाया गया है राष्ट्रीय फोरम तक, इससे क्या लाभ है? आम उपभोक्ता का यह दर्द नहीं, आम उपभोक्ता को तो दर्द यह है कि उसे चीज मिलती नहीं, जो शासन उसे मुहैया कराना चाहता है वह चीज भी उसे नहीं मिल रही है और जितनी कीमत में उसे मिलनी चाहिए उस कीमत में उसे नहीं मिल रही है। मेरा यही बहुत बड़ा शासन से आग्रह है कि इस अधिनियम को अभी और संशोधित करें आप और वह संशोधन इस आधार पर हो कि नीचे से नीचे के स्तर का उपभोक्ता उससे लाभान्वित हो तब इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई मानने हैं, तभी उससे कोई लाभ मिल सकता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री सत्य प्रकाश मानवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय 1986 में यह अधिनियम पारित किया गया था और उसके पीछे उद्देश्य यह था कि उपभोक्ताओं को संरक्षण मिले। उपभोक्ताओं को बाजार में जो निर्धारित कीमत होती है उससे ज्यादा दाम देना पड़ता है, उपभोक्ता को जाली और फर्जी माल मिलता है और उपभोक्ता को मिलावटी माल भी मिलता है। तो उसे संरक्षण मिले इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए

[श्री नरय प्रकाश शर्मा]

यह अधिनियम पारित किया गया था। इस बीच में, इसका जो सर्वोच्च आयोग है जिसने एक फैसला दिया और उस फैसले के अनुसार कुछ आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए इसमें पहले अध्यादेश हुआ और आज अधिनियम लाना पड़ा है और मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

लेकिन जैसा कि अभी मेरे पूर्ववक्ता ने सुझाव दिया कि इसमें और सुधार की आवश्यकता है और उसको व्यापक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी कानून यदि जब बनता है उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिलता जिनके लिये वह बनाया जाता है तो फिर यह कानून निरर्थक हो जाता है। वही कानून में इस बात के बहुत से प्रावधान हैं कि जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर और केन्द्र के लेवल पर बहुत से कमीशन के फोरम बनाये जायेंगे। आज यही इसमें एक प्रश्न है और इसी सदन में डा० बापू कालदास का अतिरिक्त प्रश्न संख्या-1554 है। उनका सवाल यह था कि—

“Whether it is a fact that the implementation of the Consumer's Protection Act requiring to set up Consumers' Forum in all the districts of the country has been unsatisfactory and despite the directive of the Supreme Court, majority of the States have shown poor interest in this regard;”

जिस पर बाद में चर्चा भी की गयी परन्तु उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इसमें उत्तर यह आया है कि—

“The delays are mainly due to the financial constraints faced by the State Governments/UT Administrations and difficulties in locating suitable persons for manning the State Commissions/District Forums.”

1986 में जब यह पारित हुआ तो 1988 तक केवल 44 या 45 जिले तक ही यह फोरम बन पाये और आज सरकार

ने स्वयं उत्तर दिया है कि चूंकि राज्यों को जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं, जिनके पास वित्तीय संकट हैं, आर्थिक संकट है इस लेवल तक फोरम बन नहीं पाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पांच वर्ष बीच चके हैं और छठे वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 5 वर्ष बीत चुके हैं और अब हम छठे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और यदि इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तो इसका लाभ उपभोक्ता को नहीं मिलेगा। इसमें कुछ आर्थिक कठिनाइयां हो सकती हैं। इसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जहां पर फोरम के सदस्य बैठते हैं, उनके लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, टाइपराइटर नहीं है। जब तक ये चीजें उन्हें उपलब्ध नहीं कराई जायेंगी तब तक यह कानून लागू नहीं हो पाएगा। यदि राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में वित्तीय कठिनाइयां हों तो मेरा सुझाव है कि चूंकि यह केंद्रीय कानून है इसलिए केंद्रीय सरकार की ओर है उन्हें पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

महोदय, दूसरी बात यह है कि जिनको इस कानून का लाभ मिलने वाला है, यदि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है तो यह कानून असफल हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी कराने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। लोक अदालतें दूसरे कानूनों के अंतर्गत लोगों के बीच में जाती हैं और उसके बारे में लोगों को जानकारी भी है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस कानून के अंतर्गत कंज्यूमर्स को क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं, इसकी जानकारी कराने के लिए लोक अदालतों के माध्यम से प्रयास किया जाना चाहिए।

महोदय, देश भर में करीब 460 जिले हैं। मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्री जी इस बिल पर बोलें तो वे हमें जानकारी अवश्य दें कि इन 460 जिलों में से अब तक कितने जिलों में इन फोरमों की स्थापना हो चुकी है।

महोदय, मैंने अग्निहोत्री जी का एक लेख बड़ा था—“कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया” जिसमें बताया गया है कि कंज्यूमर के बारे में गांधीजी के क्या विचार थे। उपभोक्ता को कितना महत्व देना चाहिए इस बारे में गांधीजी का विचार था कि—

Mahatma Gandhi attached a very great importance to what he described as poor consumer, who, according to Bapu, should be the principal beneficiary of the consumer movement.

Now, I would quote what Bapu said about the consumer:

Gandhi said: “A consumer is the most important visitor in our premises. He is not dependent on us, we are on him. He is not a disturbance to our work, he is the purpose of it. We are not doing a favour to the consumer by giving him an opportunity. He is doing us a favour by giving us an opportunity.”

महोदय, मैंने इसलिए इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि 1986 में उपभोक्ताओं के संबंध में कानून लाकर सरकार ने एक अच्छा काम किया था और आज इसमें संशोधन लाया गया है लेकिन मेरा विचार है कि इसको और व्यापक बनाने की आवश्यकता है और मुझे पूरी आशा है कि मंत्री जी जब अपना उत्तर देंगे तो जिन मुद्दों की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया है, निश्चित रूप से वे उनके बारे में सोचेंगे और हमारा समाधान करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): The Amendment is simple. I support it. While supporting it I would like to make a small suggestion and would also like to seek clarifications from the hon. Minister.

In the proviso to Clause 2(A), the hon. Minister has stated where proceedings of the District Forum are conducted by the President and one Member and if any one of them differs on any point, the opinion of the other Member can be sought and

the majority opinion will prevail. On this I have a point to make. The proceedings at the District Forum or at the State level are conducted by the Commission. The other Member who is absent and is not present at the time of the proceedings, cannot take stock of the situation. It is only on the paper and the records available and on the proceedings recorded he has to give his opinion. Therefore, I don't see any reason why the other member, who was not present at the time of the hearing is to be taken into confidence and also why the opinion given by him is also to be taken into account? The amendment has been brought forward because the procedure has to be simplified. Since the members of the forum are not present, the proceedings are being delayed and, therefore, they would like to confine to themselves—the President and the one member. That being the case, when there is a difference of opinion, the opinion expressed by the President may be given more weightage instead of considering the opinion given by a member who is not present throughout the proceedings.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You don't want to support.

SHRI V. NARAYANASAMY: I will support by giving a suggestion. ... (Interruptions)... This Bill has been brought forward because it has a laudable objective. It is the brainchild of our leader late Shri Rajiv Gandhi who thought that the consumers in this country have been taken for a ride. ... (Interruptions)... Why are you laughing? There is nothing to laugh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI (BHASKAR ANNAJI MASODKAR): People can laugh for their own reason. (Interruptions)...

SHRI V. NARAYANASAMY: They should go outside and laugh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI (BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You should not be so touchy.

SHRI S. S. AHLUWALIA: People will always laugh.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You should be so touchy. It is not a good practice.

zSHRI V. NARAYANASAMY: I get disturbed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Don't get disturbed. Go ahead.

SHRI V. NARAYANASAMY: While bringing forward this Bill in this House as well as in the other House, the then Food and Civil Supplies Minister, Mr. Bhagat said: "This is our preliminary exercise in bringing this legislation. We may accept it. But it is not a comprehensive one and wherever there are loopholes, we can bring amendments to the Bill". Sir, now this small amendment has been brought forward after five years. This is the only procedure. But in the functioning of the system it differs. About the consumers who have been taken for a ride, no amendment has been brought forward to protect them. One thing I would like to submit is that the Commission or the forum has no right to seize the article which is sub-standard or spurious or which is not up to the standard that has been prescribed or which is injurious to health. The consumer goes and buys an article. He finds that it is a spurious item or adulterated one. Then, he makes a complaint to the forum. But what happens is that the entire lot which has been kept in the shop will be sold to the other consumers. There is no machinery to see that those items are not sold to the other consumers. There is no provision in the Bill against the persons who display, advertise such items. That is the vital thing. The hon. Minister has to take note of it.

Today, I saw on T.V. in the morning transmission service an advertisement pertaining to the consumers' awareness. I think this advertisement is coinciding with this Bill which is before us. I have never seen such an advertisement earlier.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The Minister is also laughing. You should not be disturbed.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the consumer awareness can be introduced through distribution of pamphlets, advertising in the newspapers, T.V. and education also. The voluntary organisations which are there in our country, in my humble opinion, are only for namesake. Some of the organisations have only two or three members. In this Bill the Government is mainly relying upon those voluntary organisations. The Government should verify whether these organisations are really capable of rendering voluntary service before you seek their help. I am not saying that all the organisations are bogus or not caring for the public. The Government through its machinery can verify whether they are rendering voluntary service or not because voluntary organisations have to play a major role for the purpose of implementing this Act fully.

Another important aspect I would like to make my submission on is the suggestions made by Eradi Commission.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That has already been said.

SHRI V. NARAYANASAMY: I am talking about the implementation part of it. The observations of Eradi Commission have to be implemented.

Lastly, I would like to know whether in all the States, District Forums and State Commissions have been constituted or not. If any of the States have not done so, what steps has the Government taken or proposes to take in this regard?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Sivaji. Not present. Shri Shabbir Ahmed Salaria. You have five minutes.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Hon. Vice-Chairman, I am happy that you have enabled me to speak on this measure.

The Consumer Protection (Amendment) Bill, in fact, is intended to remove certain lacunae which existed in the law and which were rendering it difficult for the forum under the Consumer Protection Act

deliver speedy justice to the consumer. One of the difficulties was that the decision by the forum had to be taken by a majority vote of all the members. All the members had to participate in the proceedings under the Act; and in case the members did not participate, there could be no proceedings, with the result that the persons who suffered was the consumer. His case was not heard. Now, the procedure is sought to be simplified by saying that the President of the forum plus one member will be sufficient to hold the proceedings under the Act; and in case the President and one member differ, then in that event, the matter will be referred to the other member of the forum who may not have participated in the proceedings and his opinion shall also be taken; then, out of the three, the opinion of the majority will be the verdict of the forum. This amendment was necessitated because formerly all the members had to participate in the proceedings and if any one of the members was not available, the proceedings before the forum were halted and they could not proceed resulting in delay and defeat of justice. So, so far as the Bill has amended section 14 of the Consumer Protection Act of 1986 so as to provide that the District Forum shall be competent to hold proceedings when the President and one member are available, it has simplified the procedure and has made it possible for the forum to go ahead even in such cases where other members are not available.

When the office of the President of the District Forum or of the State Forum was vacant, then in that event, the old Act did not provide as to how the District or the State Forum would function. So, for meeting that contingency, it has been now provided that the State Government shall be competent to ask any person who may not be the President of the forum, but who may be qualified to act as the President of the forum to act as President during the time the President is absent. And the third thing which has been provided in this amending Act is that the proceedings of the forums under the Bill shall not be invalidated simply for the reason that the seat of any member in the Forum was vacant...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please conclude.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA:
Sir, I have now two or three suggestions to make and then I will complete it. No. 1. This is very laudable. In fact, what is needed is that our consumers who do not have an awareness of their rights under the Consumer Protection Act should be made aware of it. I would like to request the hon. Minister to utilise the media—the radio, the television and the newspapers—for the purpose of inculcating among the general public an awareness of their rights under the Act.

No. 2. The population of India is generally ignorant. The procedure should be made simple. The hon. Minister may kindly note that once a consumer has lodged a complaint, it should not be necessary for him to be present at each hearing of the matter before any forum. The forum shall take cognizance of the matter and go ahead with it till it is concluded whether the applicants are present, whether the consumer is present or not, as happens in the case of State cases. Under the Criminal Procedure Code though the complainant may not come, yet the proceedings continue till the same are concluded.

The third suggestion I would like to make to the hon. Minister, Mr. Kamaluddin Ahmed, is that it should be made possible that a consumer who has a grievance may be able to send his complaint by post. And the fourth suggestion is that we should give teeth to this Act by providing that the police or other agencies who are responsible for maintenance of law and order, prevention of adulteration and other things should be empowered, as they are empowered under the Municipal Act, the Prevention of Corruption Act, the Prevention of Immoral Traffic Act, that they shall be competent to purchase commodities as a decoy purchaser from the sellers and then haul them up for having sold the commodities at a higher price than the price at which they should normally be sold or for selling commodities which are not according to the quality which should be there.

[Shri Shaffi Ahmed Salaria]

One more suggestion which I would like to make to the hon. Minister is—now he is acting as a Minister and I hope he will continue—that he may kindly take into consideration incorporating provision in the Act by means of another amendment that it shall be presumed that the seller has violated the provisions of the Act, unless the contrary is proved, and the burden should be kept on the seller.

Last but not least, I shall make one submission. The biggest drawback is that the seller purchases commodities at a particular rate. The commodities are in his stock and in his godowns, and in the meantime the prices go up; what he does is he sells those very commodities at the new rate. I request the hon. Minister to make a provision in the Act that each seller shall be liable to keep a correct record of the dates on which he purchased the stock so that even if the prices rise, he is not entitled to sell the stock he is already holding at a rate which is higher than the rate at which he was entitled to sell before the prices went up. Since the time is short, I will not make more submissions. I thank you for having afforded me this very short time to make submissions to the hon. Minister and I hope the hon. Minister will take them into consideration and rise from deep slumber.

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) :

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1991 पर बोलने का अवसर दिया। मैं हमारे नए मंत्री जी इस विधेयक को ले कर इस सदन में पहल बार आए हैं उनका स्वागत करता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ कि जो यह संशोधन विधेयक लाए हैं यह सोच समझ कर लाए हैं कि इसमें अध्यक्ष और सैम्बर प्रिजाइड करें और डिस्मिशन ल, उसके संवर्ध में जो कुछ आपने लिखा है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का संरक्षक होने के नाते अपने कुछ मुझाव और विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ माननीय अहलूवालिया जी, सुरेश पचौरी

जो नया अन्य सदस्यों ने बड़े विस्तार से सारी चीजें सदन के सामने रखी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि 12 दिसम्बर, 1991 को यह विधेयक इस सदन में आया था और इसे सर्व सम्मति से पास किया गया था। इसके पीछे एक मकसद था कि जिसकी भी उपभोक्ता सामग्री है उस सब में उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक संरक्षण मिले, उत्पादन आर्थिक लाभ के लिए किसी तरह की मितवत न करने पाय और किसी तरह की कोई शिकायत आपके पास आए तो उसकी सुनवाई हो। इस सदन में और दूसरे सदन में बहुत से विधेयक हम लाते हैं। मुझे स्मरण है कि बच्चों को मजदूरी न करने देने के लिए एक विधेयक आया था लेकिन आज भी बच्चे पीसे जाते हैं चाहे कालीन बिनाई का काम हो, चाहे छोटी छोटी दुकानों में पहने की उम्र में कप धोने का काम हो, चाहे खतिहर मजदूरी का काम हो। अगर काम नहीं करगे तो पेट कैसे भर सकते हैं? उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो कानून हम बनायें उनको उसके अंतर्गत संरक्षण भी। केवल कानून बना कर कि अखबारों में छप जाए कि संसद् ने यह किया है और कार्यान्वयन रुका रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के स्वरूप को अश्लील रूप में प्रकट करने वाले जो विज्ञापन और प्रसारण होते हैं या जो फिल्में बगैरहा बनती हैं, उनको रोकने के लिए एक विधेयक लाया गया। परिणाम क्या हुआ? आज अखबारों के विज्ञापन आप उठा लें कर देखें तो नंगे नाच स्त्रियां वहां कहां करती हैं, उसके विज्ञापन अखबारों में आते हैं, अश्लील चित्र कौन कौन से सिनेमा ग्रहों में चल रहे हैं उसके अश्लील चित्र खुले आम अखबारों में छपते हैं जबकि यह सेंसर द्वारा रजिस्ट है, जिसे खुले रूप में चौराहों पर स्त्रियों के तन रूप के होडिगज लगे हुए विज्ञापन होते हैं वह कानून बनाने से रुका सकते हैं नहीं। जो कानून हम बनाते हैं उस में हम गुड्स की परिभाषा करते हैं। मैं अफसोस करता हूँ। जो विद्यार्थी पहने जाता है और अपने जीवन के सुतहरे क्षण देता है वह भी एजुकेशन का ही अंशद करता है।

कभी फर्ट क्लास विद्यार्थी को हम फेल करके निकालते हैं तो उसके लिए आप क्या उपभोक्ता संरक्षण दे रहे हैं ? क्या कभी आपने या आपकी सरकार ने सोचा है ? हम जो जैनरेशन बना रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से जो हम जैनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्ट और हमारी कलायें हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनके माध्यम से उनको जो परीक्षायें होती हैं उसको तहस-नहस कर के हम आटोनोंमी के नाम पर जो अकाउंटेबिलिटी को खत्म करने जा रहे हैं उसका भी कोई प्रावधान आपको निकालना होगा। आप जानते हैं, सारा सदन जानता है, बीस सुत्री कार्यक्रम गरीबों के उत्थान के लिए था। और समग्र समाज को आगे बढ़ाने के लिए राजीव गांधी का जो था उसको जोड़ने के लिए यह उपभोक्ता संरक्षण कानून बना था। राजीव गांधी ने सन् 1985 से इसमें दिलचस्पी ली। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। यह एक्ट उपभोक्ता के हित संरक्षण के लिए बना है। परंतु आशातीत परिणाम इसका नहीं निकला। कमेटियों में हो जायें इसके लिए विभिन्न दलों के जो कार्यकर्ता हैं वे एमपीज के पास दौड़ते हैं कि हमको कमेटी में डलवा जाए क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण परिषद् में बड़े लोगों का नाम जुड़ जाता है। लेकिन खुले आम दवाओं में मिलावट होती है, यहां तक होता है कि पेट्रोल में मिलावट होती है, डीजल में मिलावट होती है और जब हमारी सरकार को पेट्रोल कंपनियां कलप्रिट की पकड़ लेती हैं तो बड़े बड़े नेता, सफेदपोश उनको छुड़ाने के लिए ब्रिगियों का दरवाजा खटखटाते हैं। हल्दी में पीला रंग मिलाया जाता है, मिर्च में लाल रंग मिलाया जाता है, मसाले में बुरादा मिलाया जाता है और क्या क्या अवाध, उच्चिष्ट पदार्थ, पशुओं के मल मूत्र मिलाये जाते हैं। ये जो सफेदपोश लोग हैं, स्टाक होल्डर्स हैं ये खुले आम कमी दिखा देते हैं। अभी सारे देश में सुखा पड़ रहा है। साढ़े पांच बजे कृषि मंत्री जी सुबे पर वक्तव्य देने जा रहे हैं। इधर वक्तव्य देंगे और

उधर काले बाजारियों की होडिंग शुरू हो जाएगी। अनाज गोदामों में जमा होगा लेकिन बाहर तख्ती लगा दी जाती है कि चीनी नहीं है, चावल नहीं है, गेहूं नहीं है। भीतर होडिंग होगी। जब भुखमरी होगी तो एक के चार के दाम वह सब बिकेगा।

सबको संरक्षण तो आप दे रहे हैं और प्रेजिडेंट प्रेसाइड करेगा उसमें, एक मैन्युअल उसमें एडजस्ट कर लेंगे लेकिन उससे कोई फेंक नहीं पड़ने वाला है। हमारी दियारत ? कितनी शुद्ध है और जो संशोधन हम ला रहे हैं उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं इस पर हमें विचार करना होगा। तब जाकर कुछ हो सकता है।

महोदय, 500 से ऊपर देश में जिले हैं। बराबर बढ़ते जा रहे हैं। अब 562 रिकग्नाइज्ड हैं। कम से कम 63 मेरे यहां उत्तर प्रदेश में हैं। क्या हर जिले में आपने उपभोक्ता संरक्षण परिषद् बना ली है। अगर नहीं तो कमालाट्टीन जी यहां 60 साला नौकरी मिनिस्टर के रूप में आप यहां नहीं करने आए हैं। एक काम करिए। आप अपना लक्ष्य बना लीजिए कि जितने देश में जिले हैं हर जिले में नये उपभोक्ता संरक्षण परिषद् बनाऊंगा उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों न करनी पड़े। आज जिलों में जाकर दौरा करिए और बनाइए। 10-10, 15-15 जिलों में आप यह काम कर सकते हैं। ब्लाक वाइज बनाइये, गांव वाइज बनाइये। इनमें ऐसे लोगों को लाइये जो सिफारिश पर न बने हों, जो खुद मिलावट में शामिल होकर उपभोक्ता परिषद् को कलंकित न करें। जनता की जो वास्तविक समस्याएँ हैं, खाद्य पदार्थों में जो मिलावट होती है उन सारी चीजों पर अच्छी तरह से ध्यान दें।

उपन्यास्यक्ष (श्री भास्कर अनाजी मासोदकर) : उनके भाषण में मिलावट काहे को कर रहे हैं आप ?

डा० रत्नाकर पांडेय : सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन काउंसिल की अब तक कितनी मीटिंगें हुई हैं ? जब से यह बनायी गयी है तब से कितनी मीटिंगें हुई हैं, क्या क्या निर्णय हुये उनके, कितनों का एक्जीक्यूशन हुआ। इनको दिखाइये। उनका क्या निष्कर्ष निकला ? सिर्फ आपने मीटिंग कर ली, अमेंडमेन्ट कर लिये। 1986 से अब तक बना है। मैं जानता हूं अभी तक बहुत से प्रदेशों में नहीं बना है। प्रदेशों में जो बना भी है उनका कामकाज ठप्प है। जिलों में, ब्लाक्स में और गांवों में नहीं बना है। मुहल्लों में नहीं बना है। हर बिल पर इसको फैलाइये जब तक कि कंज्यूमर्स ठीक ढंग से अपने अधिकार प्राप्त न कर पायें। कितने राज्यों में अब तक कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के लिये बना है, यह बताइये। जहां नहीं बन पाया है, क्यों नहीं बन पाया है, कब तक आप बनायेंगे। यह बिल बहुत कम काम का है लेकिन इसका अर्थ तब निकलेगा जब इसको आप फुल स्पीड में एक्जीक्यूट कर ले जायें। अतः उप-भोक्ताओं के हितों का ध्यान आपको रखा जरूरी है। इस समय नेशनल कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स 386 है। और 286 का अब तक फैसला हुआ है, सौ तो पड़े हुये हैं अभी तक—क्यों पड़े हुये हैं ? उनको आप जल्द से जल्द निपटा दीजिये। 4,431 में से 2,671 केसेज जो कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स के लोकल स्तर पर हैं, वह पड़े हुये हैं।

तो यह सब काम आप करिये। तभी जाकर के कुछ सार्थकता होगी। मिलावट करने वालों में छोटे-छोटे व्यापारी हैं। वह कस्बों, में शहरों में रहते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनकी संरक्षण देती है और जितने मिलावटी लोक इस संस्था के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करिये, क्योंकि वह छोटे-छोटे लोग हैं और थोड़ा सा पैसा कमाने में—मुंह में राम, बगल में चूरी वाले लोग हैं—चन्दा दे देंगे थोड़ा सा पीर बड़ी मीठी बातें करेंगे। लेकिन

रात में—(तमय की घंटी)—खाने वाले तेल में अरंडी का तेल मिलायेंगे।.. (व्यवधान)

श्री अनन्तराध देवशंकर द्विवेदी (गुजरात) : “मिलावट करते हैं” यह शब्द रिकार्ड में नहीं जाने चाहियें। (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पांडेय : और जो बी है, उसमें दूसरी चीजें मिलायेंगे। मैं इलैक्शन के दौरान पेट्रोल भरवाता था और जो पेट्रोल की टंकियां बी०जे०पी० के लोगों के नाम हैं, वह मिट्टी का तेल पेट्रोल में मिलाते हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : डा० रत्नाकर पांडेय : जो उसमें कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं। लिस्ट मंगवाइये।

डा० रत्नाकर पांडेय : जहां-जहां और पार्टियों की सरकारें हैं, वहां उपभोक्ता परिषद नीति बनी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं बनी है। मैं उदाहरण के साथ कहता हूं कि मध्य प्रदेश में इनका शासन है और... (व्यवधान) बनियों की यह पार्टी है।

श्रीमती कमला त्रिपाठी (बिहार) : बताइये ना कि क्यों नहीं बनी ? (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पांडेय : वह बढ़ावा दे रहे हैं... (व्यवधान) छोटे-छोटे उद्योगपति जो काला धंधा करके इनका पेट भरते हैं, फंड भरते हैं, उनके इंडेस्ट को भी वाच करते हैं, पर करोड़ों जनता के इंडेस्ट को वाच नहीं करते हैं।

इसलिये मंत्री महोदय इस पर विशेष ध्यान दीजिये और मध्य प्रदेश में उप-भोक्ता संरक्षण परिषद बनावाया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मे विश्वास करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।.. (व्यवधान)

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : जी० जे०पी० के लोग उनसे चन्दा लेकर अपना पेट भरते हैं—यह रेकार्ड पर नहीं जाना चाहिये । रेकार्ड को स्टेट रखने के लिये ... (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : उप-सभाध्यक्ष जी, कांग्रेस का जो महल है, वही भ्रष्टाचार पर खड़ा हुआ है। ... (व्यवधान) यह पूरे का पूरा उपभोक्ताओं को चूष कर खड़ा है। यह भ्रष्टाचार के सभाष्ट हैं । आपने देश को कंगाल बना दिया । (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पांडेय : हमारी पार्टी जनता की इच्छा पर खड़ी है।... (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : आप की सरकार ने चालीस साल तक लटा है । वह भ्रष्टाचार की शिरोमणि है । (व्यवधान) ...

डा० रत्नाकर पांडेय : आपके सारे एम०पी० जीत करके हमारे यहां आये और आपकी सरकार जा रही है, क्यों कि आपने उपभोक्ताओं को प्रोटेक्ट नहीं किया है ।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : आप अपनी सरकार की चिंता करिये । हमारी सरकार की चिंता मत करिये ।... (व्यवधान)

डा० रत्नाकर पांडेय : *

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : *

श्री कैलाश नारायण सारंग : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Nothing will go on record. Nothing is going on record. Now, please sit down.... (Interruptions).... Now, Mr. Ish Dutt Yadav. Not present. Then, Shri Ram Avadhesh Singh. Not present. Not here. Yes. Prof. Sourendra Bhattacharjee.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE (West Bengal): Sir, after the storm you have called me. Of course, the weather is more or less placid. But, at the very beginning, I would just submit one thing to my friends on the other side and that is regarding the invoking the name of the late-lamented Rajiv Gandhi on one and all occasions and inviting some derisive remarks from the other side which is also not really in good taste always. They can avoid these things and it would be better if such repetitive references are avoided I remember a poet, a Bengali literature, in the heydays of Stalin, here in Bengal, who said:

"You know, its because you are living still, Stalin, that offsprings are born?"

My only request to them is that such things should be avoided.

So far as this piece of legislation is concerned, this amending Bill, I think, as Mr. Bagrodia has told, is only a procedural thing and I was telling Mr. Ahluwalia that it is technical only. That is not really the bone of contention. The bone of contention is the legislation, the Act, that was formulated some five years back. The idea was good, but the way it has gone about is far less than good, and it has been admitted and it has been admitted by all, none excepted.

Today, Mr. Mehta raised a point regarding the newspaper industry. Our heart does not bleed for the industry, but it bleeds for ourselves, because we are all newspaper readers and there are crores of newspaper readers all over the country. As I understand, the State Bank of India defaulted on the payment of foreign exchange to those who supplied the newsprint. Now, because of that delay, after the devaluation the State Bank of India is called upon to provide Rs. 60 crores in excess! This is going to be passed on to the industry and the price of newsprint has been increased. We are, after all consumers. We are going to be affected.

Then there is the question of defective definition, faulty definition. But I think that there can be no foolproof definition.

[Prof. Sourendra Bhattacharjee]

It must be admitted, as was admitted by Dr. Pandey and others who just preceded me, that there should be a comprehensive definition so that the loopholes are the least. The profiteers are like the sharks. Their ingenuity is such that it is very difficult to tell in which way they would turn. Regarding sharks it is said that a person who is attacked by a shark does not know even that he has been attacked. Suddenly he finds that he has been totally attacked. So if you want seriously that there should be consumer protection in the real sense of the term, in that case this Ordinance, which was a constitutional requirement, should be regularised, by incorporating it into a law or through the Statutory Resolution of Mr. Ahluwalia. If it goes against it, in that case it may be thrown out. But that is not important. What is important is to make this consumer protection Act a reality. Do not just try to woodwink the consumers or make it a showpiece. It would be meaningless. Will the Minister be prepared for that? It is not an individual question. It is a question of the Government of India, the Cabinet and the whole Council of Ministers. Will they be able to touch the profiteers, blackmarketeers, hoarders and those with huge amounts of black money? Not just by two methods as suggested by the Finance Minister yesterday. There are a thousand methods for hoarding black money and it is...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Please, conclude. Professor Sahib, please conclude.

PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: I will just conclude in one or one and a half minutes.

I think it was Mr. Raj Mohan Gandhi who quoted Mr. H. K. L. Bhagat that it was a landmark—this piece of legislation. I think it was in 1986 when he was a Minister. If it has to be made a reality, it should be comprehensive. That is one thing.

The question is that the law cannot ensure everything. After all, social consciousness is very important and therein

lies the importance of strengthening the consumer movement all over the country. So if this law is made comprehensive and the consumer movement is strengthened, a strong basis would be created for protecting the interests of the consumers.

I would like to know from the Minister whether he is prepared to extend the scope of this Act and remove things which are hampering the interests of the consumers.

Thank you,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mrs. Bijoya Chakravarty. Be brief.

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am not much hopeful of the amendment Bill presented in the House.

Today we have seen that the consumers are in a very bad shape in this country and they are highly exploited persons, I feel. Why is this so? It is not that there is a dearth of Acts. Many laws have been enacted. We have got four laws enacted to protect the interests of the country. And the net result is, what we have seen is that all these acts fail to protect the interests of the consumers of the country. Sir, I feel that law protects those who have and is almost a silent spectator in the case of those who have not. Owners are religiously protected by the law. The country is full of all sorts of crooks who try to deceive the consumer from all corners. In the long run, it seems that there is a competition between the producer, the distributor and the retailer to use all unscrupulous means to deceive in whatever they can and to exploit the consumers, we have seen prices soaring up very high day by day. And what the consumer is buying by paying the last coin from his pocket is highly adulterated one and that too at a very high cost.

Sir, I want to say here, I want to assert here that the consumer law merely passed in the House is like a car without petrol. It cannot move an inch. If the consumers are not made aware of the laws,

there is no use. Not to speak of the uneducated people, even the educated people of the country are not properly aware of the rights that they have got or the protection that the consumers have been given by the foreign sister law.

Sir, it is very unfortunate that the consumers are not properly organised in this country to register their protest and to fight in the right forum against the sufferings they are subjected to. We have seen that a few voluntary organisations are there in the country who try to raise their loan voice. But due to administrative difficulties and administrative procedures, they have to give up their endeavour half-way. Moreover, there is an unhealthy nexus between the protectors of the law and the dealers and the sellers, and any honest effort on the part of the voluntary consumers organisations fails to achieve any remarkable result. Even in the remote places of the country, there are all sorts of crooks and they can use all sorts of adulteration, and they can sell the goods at a very high price. And it is more so, for example, in my State of Assam and Meghalaya and Mizoram and Tripura. In all these States, you will find that all the consumer goods are highly adulterated. And people have got no other way. Knowingly they have to buy these goods because they have no other way left. Sir, we have also seen that many new-built house collapsed because of the adulterated cement. And probably last year many people died in West Bengal as they used adulterated mustard oil. Some people are crippled and some people are affected even today. Even in this country baby food is also adulterated. Even the water of the river is adulterated. I do not know about the mother's milk. When the mother eats adulterated food, I don't think that the milk of the mother is not adulterated. I simply hope and pray the God to protect the consumer of this country.

Sir, I feel that a pragmatic approach on the part of the hon. Minister and his Department is not there to check the high

price and to check adulteration. It is good that this Amendment has been brought before the House. But sincere effort must be followed to make all the consumers to be aware of the rights that they have got. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Ahluwalia, would you like to say something?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह उपभोक्ता संरक्षण संशोधन विधेयक, 1991 के बारे में जितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, वरे ब्याल से किसी भी सदस्य ने ऐसा नहीं कहा कि यह बिल अच्छा है और इसका मुद्दा अच्छा है और इसके तरीके भी अच्छे हैं बल्कि हरेक सदस्य ने भाग लेते हुये यह कहा कि यह एक अच्छी पहल जरूर है, पर जो तरीका अपनाया गया है वह अच्छा नहीं है। 1986 में, जब यह विधेयक पास किया गया और पास करने के बाद आज तक इसको जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की जरूरत थी, वह पूरा नहीं किया गया। उसके बहुत मारे कारण हैं। अब कारण में देखना होता है कि सरकार को नीयत अच्छी होती है या अच्छी नीयत से अच्छी चीजें लाते हैं और बड़े जोश से, गर्मजोशी से मदन के अन्दर विधेयक पास किये जाते हैं, लेकिन विधेयक पास करने के बाद यह जब सचिवालय में पहुंच जाते हैं तो इस पर दीमक लगने लगती है और यह एक ऐसा विधेयक है जिसे एक नई परम्परा यह की जा रही थी, जो समाज में दीमक है उसको खत्म करने की और उपभोक्ता को संरक्षण देने की। पर देखा गया कि उपभोक्ता की उन भागों पर दीमक लग गई और इस विधेयक पर भी दीमक लगती रही और किसी ने कोई अच्छे तरीके से इस पर गौर नहीं फरमाया कि अगर इसकी रिव्यू मीटिंग करके, हरेक राज्य में मीटिंग करके, हरेक जिले में मीटिंग करके देखा जाय कि वाकई वहां पर फोरम

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]
बने हैं या नहीं बने हैं और अगर फोरम
बने हैं तो उनके सदस्य कौन हैं ?
वाकई सदस्य हैं और उपभोक्ता आन्दोलन
के साथ जुड़े हुये हैं ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI, MASODKAR): With the concurrence of the House I request Shri Jagesh Desai to preside for ten minutes.

[SHRI JAGESH DESAI In the Chair]

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया :
उपभोक्ता संरक्षण के साथ में, उप-
भोक्ता आन्दोलन के साथ जो आदमी
न जुड़ा हो और वह इस फोरम का या
इस आयोग का सदस्य बन जाय तो
उसको इतना लगाव नहीं होता है कि
आखिर वह किस चीज के लिये काम
कर रहा है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज
उस आदमी को यह समझने की है कि
उपभोक्ता कौन है और उपभोक्ता को
क्या-क्या तकलीफें हैं। जो सारी उम्र
माल में मिलावट करके बेचता रहा हो
या ऐसे लोगों को संरक्षण देता रहा
हो या ऐसे लोगों की मदद करता रहा
हो, वैसे आदमी कभी उसका सदस्य
बन जाये तो क्या वह वाकई उपभोक्ता
को न्याय दिला सकेगा ? नहीं दिला सकेगा तो
आपने इस विधेयक के अन्तर्गत, जब सदस्य
बनाते हैं तो उनके बारे में कोई इन्क्वायरी
कोई उनकी क्रेडेंशियल्स क्लेकट करने का
प्रावधान रखा है या नहीं ? किसको
बनाया जाता है ? आपने कह दिया कि
कुछ नान आफिशियल्स होंगे, कुछ आफि-
शियल्स होंगे, पर हम तो देखते हैं कि
कुछ आफिशियल्स और नान आफिशियल्स
कोई भी हों, उनको न्याय नहीं मिलता
है, लोग जब कम्प्लेंट लेकर जाते हैं तो
न्याय नहीं मिलता है। यहां हमदर्द
लोगों की जरूरत है, जो लोगों की
तकलीफ को समझ सकें और ऐसे लोगों
की जरूरत नहीं है कि जिसको अपने
कालेज में पढ़ने वाले लड़कें को 25
हजार की "होंडा" मोटर साइकिल
खरीदकर देनी है, वैसे उपभोक्ता की
जरूरत नहीं है। पर उस उपभोक्ता
की शिकायत यहां पर लानी जरूरी है
या इस पर विचार करना जरूरी है

कि जो गांव से 25 किलोमीटर दूर
"एटलस" या "एवन" साइकिल पर
जाता है और रास्ते में उसकी साइकिल
पंचर हो जाती है या रोज उसकी
साइकिल की चैन टूट जाती है, इसको
भी जरा ध्यान में रखना जरूरी है ?
वैसे कहां आपने इन्फास्ट्रक्चर दिया है
और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
इन्फास्ट्रक्चर बना भी दो, तो उसको
आप एजुकेट कहां कर रहे हैं ? मुझे
अभी तक कोई ऐसी पाठशाला नहीं
मिली, कोई ऐसा स्कूल नहीं मिला,
कोई ऐसा लीप्लेट नहीं मिला जिसके
माध्यम से या कोई ऐसी डीक्यूमेंट्री
मेने नहीं देखी है अभी तक, जिसके
माध्यम से उपभोक्ताओं को एजुकेट
किया जा सके कि अगर आपके पास
में कोई मिलावट वाला सामान आ
जाता है और जिसके कारण आपको
स्किन डिसीज हो जाय, या आपकी आंख
खराब हो जाये, या आपके कपड़े जल्दी
फट जाते हों, या आपके साबुन के कारण
हाथ की चमड़ी उतर जाती हो,
या आपके तेल लगाने से बाल उड़ जाते
हों, या आपके दांत टूट जाते हों, या
और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन
चीजों से तकलीफ हो रही हैं वैसे
चीजों का निराकरण करने के लिये एक
ऐसा आयोग बना हुआ है और उस
आयोग में जाने की प्रणाली यह है, यह
छोटा सा रास्ता है, इस रास्ते के माध्यम
से आप वहां पहुंच सकते हैं और आपको
न्याय मिल सकता है। ऐसा कोई रास्ता
नहीं बनाया गया अभी तक और न
ही इसका कोई प्रचार है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बिल
का विरोध करने का मूल उद्देश्य यही
है कि जब तक आप लोगों को एजुकेट
नहीं करेंगे इस पर, तब तक आपके
पास अपनी इन्फार्मेशन नहीं होगी कि इस
मुल्क में कितने उत्पादनकर्ता हैं जो
उत्पादन करने वाले लोग हैं, कितने
उद्योगपति हैं और किस-किस जगह,
किस-किस चीज की मैन्यूफैक्चरिंग होती
है और उसकी क्वालिटीज क्या है, उसके
ग्रेड क्या हैं और कीमत क्या है, उसका
एप्लीकेशन कहां पर होता है ? जब

तक आपके पास यह इंफार्मेशन नहीं होगी तब तक आप किसी को सजा नहीं देना सकते, क्योंकि उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करूंगा कि जिले, राज्य और देहात की बात तो छोड़िये दिल्ली शहर में मेरे साथ वह बाजार चलें। मैं उनको बाजार में दिखाऊंगा बड़ी से बड़ी दुकान और छोटी से छोटी दुकान, हर दुकान में मैं उनको करीब 25 पीसदी ऐसी चीजें दिखा दूंगा जिस पर लेबिल बहुत खूब सूरत लगे हुये हैं परन्तु मैनुफैक्चरर का नाम नहीं लिखा हुआ है, मैनुफैक्चरर का ठिकाना नहीं लिखा हुआ है। मैं सामान खरीद कर लाता हूँ, अगर कल को उसके कारण मेरे साथ कोई घटना घटती है तो मैं किस को पकड़ूँ? दुकान वाले को जाकर पकड़ता हूँ तो वह कहता है—साहब मैंने तो बेची नहीं आपको, और तो और आपके जो नियम बने हुये हैं—शोप्स एंड एस्टिब्लिशमेंट एक्ट, जो भी माल आप बेचेंगे उसकी रसीद काटेंगे। रसीद काटेंगे तो डिब्बे पर जो लाट नम्बर लिखा हुआ है, शैड नम्बर लिखा हुआ है वह लिखेंगे। पर जब उसमें कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो किस चीज की एंट्री करेंगे आप। परन्तु ऐसी चीजें बिकती हैं। आपके इस आयोग के साथ वेट एंड रेजर्स डिपार्टमेंट, जहां गांवों में, देहातों में बोलते हैं कि—साहब उस फलाने की दुकान पर मत जाना वह डंडी मारता है। वह डंडी क्या है? लकड़ी को जरा सा झर देवा कर देता है और वजन कम हो जाता है, तो वह डंडी मारता है। वैसे ही यह जो रोज डंडी मार रहे हैं इलेक्ट्रानिक्स बेलेंस पर और कम्प्यूटर बेलेंस पर डंडी मारी जा रही है और हमारी आंख के सामने धोखा हो रहा है और हम दुकानों से ऐसी-ऐसी चीजें मिलावट भरी खरीद कर ला रहे हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं उनके साथ भी धोखा हो रहा है, तो अनपढ़ लोगों के साथ क्या होता होगा, महोदय। मेरा इसलिए विरोध है इस चीज का कि जब तक आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना विजिलेंस डिपार्टमेंट नहीं बनायेंगे,

जब तक आपके पास में सारी इंफार्मेशन नहीं होगी तब तक इस आयोग की कोई कीमत नहीं है। इसमें हो सकता है कि दुश्मनी में या कोई अपना गारंटी पीरियड के अंदर कुछ लेना चाहते हैं तो बड़ी-बड़ी मशीन वाले पहुंचेंगे, वाशिंग मशीन वाले पहुंचेंगे, हार्डड्रोलक जैनेरेटर्स वाले पहुंचेंगे, न्यूमैटिक जनेरेटर्स वाले पहुंचेंगे और बड़ी-बड़ी मशीनों की मैनुफैक्चरिंग करने वाले पहुंचेंगे, पर इस मुल्क का जो मैं न उपभोक्ता है 80 प्रतिशत जनता जिसको दो जन की रोटी के साथ-साथ कुछ ऐसी जरूरतमंद चीजें हैं—ट्यू पेस्ट से लेकर, ब्लेड से लेकर, क्लम, दवात से लेकर और कपड़े से लेकर दवाई तक जो चीजें हैं उस उपभोक्ता के लिए हमने इस विधेयक के माध्यम से क्या संरक्षण दिया है और क्या रास्ते अपनाये हैं, यह बताने की कृपा करें? मेरा विरोध इसीलिए है कि जब तक इसकी एजुकेशन नहीं होगी, लोगों तक नहीं पहुंचायेगे तब तक हम इसको सार्थक नहीं कर सकते। धन्यवाद।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): Sir, I have come to this august House with a Bill to amend the principal Act for the replacement of the Ordinance which was issued in the month of June. As the hon. House is well aware, this Ordinance, which was issued in the month of June, was necessitated because of the judgement given by Justice Eradi, the President of the National Commission. If the Ordinance had not been brought, there was a possibility of nearly 1579 cases decided by the Delhi District Forum, 125 cases decided by the Maharashtra State Commission and about 1522 cases decided by the 4 District Forums in Maharashtra becoming null and void. The reason was that under Section 14(2), it was necessary for all the members of the Forum or the Commission to sign the judgement and if any member had not signed that judgement would have become null and void. So, that was the necessity and the then Government issued an Ordinance. I will submit, at this stage, that as Prof. Bhattacharjee has

(Shri Kamaluddin Ahmed)

rightly said, it is a purely technical nature of amendment. Through this amendment, we have rectified that flow. We are amending Section 14 (2) to provide that every proceeding of the District Forum shall be conducted by the President and at least one member thereof sitting together. This is the quorum now. Then, every order made by the District Forum shall be signed by its President and the member or members who conduct the proceeding. Where the proceeding is conducted by the President and a member of the District Forum and they differ on any point, the same shall be referred to the other member for hearing on such point or points and the opinion of the majority shall be the order of the District Forum. The other amendment seeks to validate the judgements of decisions given by two members of the Forums or the Commissions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That was for Delhi. Was there any other judgement for Maharashtra Forums?

SHRI KAMALUDDIN AHMED: The whole case came up from the Delhi Forum, in the Maruti Udyog case. The amendment seeks to validate the orders signed by the President and one member of the District Forum before amendment. There is another amendment to fill up the vacancy in the office of the President. The person who is qualified to be appointed as the President of the District Forum or the State Commission may be temporarily appointed to hold such office. These are all procedural amendments. I hope the House would agree with me that the Ordinance which had been brought in June has to be replaced by these amendments.

[The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar) in the Chair]

SHRI RAJ MOHAN GANDHI: Would the Minister yield for a minute? The point that came up was that the Government has not made sufficient efforts to locate and enlist in the District Forums the real consumer-oriented people who

would be committed to the responsibility. Your amendment may be all right. Your Ordinance may be all right. But the important point is whether the Government is committed to making sufficient efforts to involve those in the consumer movement. This technical amendment will enable you to proceed, but will it do the job?

SHRI KAMALUDDIN AHMED: I am coming to that. Sir, many suggestions have come. Hon. Members, while speaking on the Bill, have given very valuable suggestions. According to me, this particular Act is an infant Act. It is just five years old.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): No Act is infant.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: It was passed only five years back.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is a very powerful weapon.

SHRI RAJMOHAN GANDHI: It is an instant Act.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: It is a very powerful Act. But I submit that it is more of a compensatory nature.

Members were unanimous on this point that the functioning of the various fora, the National Commission, the State Commissions and the district fora, was not satisfactory. For the information of the House, I would like to point out that the National Commission has since started functioning. It has decided 286 cases out of 386 cases filed, including appeals, as on 31.12.90. The State Consumer Disputes Redressal Commissions have started functioning in 27 States and Union Territories. About 325 district fora have also started functioning in various districts. As per the information available the State Commissions have decided 2,671 cases, including appeals, out of 4,431 cases filed, as on 31.3.91. Similarly, 23,834 cases have been decided by the district fora, out of 51,854 cases filed, as on 31.3.91.

One may say that all that was to be done by these various fora—the State Commissions and the district fora—was not done by them. But the fact is that they are functioning and they have functioned. Of course, in many States, these fora have not been formed in all the districts. I mentioned this yesterday also, while moving the Bill. For example, in Madhya Pradesh, out of 47 districts, only in nine districts, these fora have been formed. Here, I would like to submit that it is a Central Act and the Central Government has a very limited role, in the sense that the whole exercise of formation of the State Commissions, etc., is left to the State Governments. At the most, we can give guidelines. From time to time, we can ask them. We can monitor the functioning of the various fora. But the formation of the fora and the nomination of members on the various district fora and the State Commissions is left to the States. Of course, in the Act, the parameters have been laid down. The qualifications have been prescribed. It is prescribed as to who can become a member, what background, what qualifications, one must have.

Sir, almost daily, I receive a number of representations in regard to the functioning of the different fora and matters connected with their functioning. The Ministry is, right now, on an exercise as to how can make the working of the law more effective. We are examining the various suggestions that we receive. Hon. Members have given suggestions. For example, Shri Suresh Pachouri has given in writing a number of suggestions. They are very very progressive, very very useful. I am also grateful to Raj Mohan Gandhiji. The suggestions that he has given in his speech, I submit, will all be looked into and we will try to make this Act more active and more meaningful.

Shrimati Sarala Maheshwari, while speaking, gave certain suggestions. She has also brought forward an amendment with a specific object that some more commodities may be made compulsory, that the consumer must have a right to these commodities under the PDS. My submission is that under the PDS the Govern-

ment of India have identified 6 commodities and the discretion to include any more commodities has been left to the State Government.

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): There are various articles which are supplied through Central agencies. How can the State Government include those articles in the list and supply them at a fixed rate? For example, cement. State Governments have no power over cement supply. Is cement included in the 6 items?

SHRI KAMALUDDIN AHMED: No, it is not there in the listed 6 commodities.

SHRI ASHIS SEN: Suppose, the State Government wants to include cement...

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Cement is available in the open market.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): His point is whether you will consider inclusion of these items also.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: We have been requesting the State Governments to include more items according to their local requirements.

SHRI ASHIS SEN: If the source of supply is not available with the State Governments, how will they do it? PDS means that those articles should be available at a certain specified price. If the source of supply is not available with the State Government, it is with the Central Government how will the State Governments be able to do it? That means, the Centre is trying to shift the buck on to the State Governments. Shrimati Sarala Maheshwari's point was, let the Central Government take the responsibility in regard to those items also.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: It is very difficult for the Central Government to add any more commodities in the PDS as the burden of those commodities itself comes to Rs. 2200 crores in the shape of subsidies. Anyway, a number of States have added so many items. There is a long list of such States who have added many more items.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He has asked about cement.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: We can consider the suggestion.

As I have just now said, this Act is more of a compensatory nature. It is not a penal sort of legislation. There are a number of other Acts, legislations, passed by the Parliament which deal with the offences that were mentioned during the speeches of the hon. Members. For example, adulteration, blackmarketing, hoarding, any defective service, punishment for all such infringements has been provided. There are penal provisions provided in those Acts. This is mainly because the consumers have to be given some protection. As I submitted, the consumer who buys a commodity or article of a person who hires a service has a right to have full knowledge of the commodity that he is buying he has a right to choose, what he should buy what he should not buy, and then he has a right to seek the redressal also. All these things have been taken care of under this Act and the very procedure of this Act is not very cumbersome. A complaint can be sent to the Commission or forum on just a simple piece of ordinary paper.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He was asking whether it can be sent by post.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: It can be sent through registered post. Even that is provided. The Commission and the forum will take cognizance of such complaints. About the 5.00 P.M. qualifications of Members who are nominated by the State Government, of course, these things have been brought to the notice of the Government also but, as I have submitted just now, the nomination is done by the State Governments and in their wisdom they nominate whomsoever they feel fulfil the requirements of the Act. In such matters, if somebody is totally disqualified and is not desirable to continue on the Commission, if any such case is brought to our notice, of course, we will see that the State Governments are addressed in that matter also.

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश) : महोदय मैं आपकी इजाजत से एक जानकारी लेना चाहता हूँ। जो कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 है उसके सेक्शन 12 और सेक्शन 16 में यह प्रावधान है कि किस प्रकार के नान-जडिशियल मैम्बर्स होने चाहिए और उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उनको इकनोमिक्स का, एडमिनिस्ट्रेशन का, एकाउन्टेन्सी का, कामर्स का और ला का ज्ञान होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि ये पूरे अधिकार राज्य सरकारों को दिये गये हैं। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 हमने यहाँ से पास किया और वह कुछ उम्मीदों के साथ पास किया। अब हम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन (एमेंडमेंट) बिल, 1991 पास करने जा रहे हैं और इस उम्मीद से पास करने जा रहे हैं कि जो फोरम बनें उन फोरम में नामिनेटेड मैम्बर्स में वे योग्यतायें होनी चाहिए जो नियमों के अनुसार होनी चाहिए। यदि वे उनको फुलफिल नहीं करते हैं तो जिन रिजल्ट को हम आशा करते हैं वे नहीं निकल सकते हैं। इसलिए क्या केन्द्रीय सरकार की तरफ से जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में फोरम्स बने हैं उनके मैम्बर्स की स्कूटिनी की गई है कि वे योग्यतायें रखते हैं या नहीं और अगर वे योग्यतायें नहीं रखते हैं तो क्या उनको मैम्बरशिप से अलग किया जाएगा ताकि वांछित परिणाम निकल सकें?

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujarat): Sir, I will take just half a minute. It seems the sense of the House is that this particular Act has not been effective at all and I would like to know from the Minister—and it is my demand also—whether, since the subject is so important, the Government would consider having a separate Ministry under “Consumer Affairs” because at the moment this comes the Ministry of Civil Supplies and the Ministry of Civil Supplies is already loaded with so many such things. So my query is—and my demand also—would the Government consider having a separate Ministry altogether for “Consumer Affairs?”

SHRI SURESH PACHOURI: It will be considered at the time of expansion!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Minister, if you yield, I cannot stop them. Don't yield now.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Sir, I have already submitted that the Ministry is doing some exercise to look into the whole working of this Act and we are trying to bring, if necessary, some amendments. If we find that some amendments ought to be brought, definitely we will look into it. About the Central Protection Councils's meetings, the honourable Member asked as to when it has met and how many times. I submit that some nine meetings have been held and one more meeting is going to be held in the month of September.

SHRI V. NARAYANASAMY: They are meeting without any fruitful result. They come and speak, that's all.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He is not yielding now; he has yielded too much.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Then, Sir, all these suggestions which have come in the speeches of the honourable Members, I have taken note of them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): About qualifications of members.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Sir, about what honourable Pachauriji has asked, as I have submitted just now, the qualifications of the members who can be on the District Forums and who can be on the State and National Commissions have been mentioned in this Act—as to who are the people who can be there. So, if there is any violation of these provisions, if that is brought to our notice, naturally we will look into it. But it is very difficult for the Central Government to look into the qualifications of the members of the District Forum. However, if here is any specific case of any specific person who has violated the qualifications and who has been there, of course something can be done with regard to that.

With these words, Sir, I assure Ahluwaliaji that all his apprehensions need not be there, we will try to make this Act very effective and we will try to achieve the dreams of our late leader, Shri Rajiv Gandhi. I request Ahluwaliaji to withdraw the Resolution. I also request Members to withdraw their Amendments and pass this Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Ahluwalia, are you withdrawing your Resolution, or should I proceed?

SHRI S. S. AHLUWALIA: One minute, Sir.

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री महोदय ने सारे सवालों का जवाब विस्तारपूर्वक दिया है और सारे सैम्बरों ने जो दबाव दिया है कि 1986 के बाद इस आयोग ने कोई काम नहीं किया है तथा मंत्री महोदय ने एश्योरेंस भी दिया है इस आयोग के पीछे जो मुद्दा था उसको फुलफिल करेंगे और राजीव गांधी के सपनों को पूरा करेंगे। इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि लोगों को एजुकेट करने के लिए हर जगह जिला स्तर पर इसके फोरम खुल जायें। इसके लिए टाइम बाऊंड प्रोग्राम बनायें और लोगों को एजुकेट करने के लिए पंचायतों, नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने का बन्दोबस्त करेंगे। इन चीजों पर मुझे भरोसा है कि कमालुद्दीन साहब अपना कमाल जरूर दिखायेंगे तथा एक नया दौर चला कर लोगों को एजुकेट करेंगे, इसको सही रास्ते पर ले जायेंगे जिससे इस विधेयक को पूर्णरूपेण लागू किया जा सके।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I shall now put the motion to vote. The question is:

"That the Bill to amend the Consumer Protection Act, 1986 be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. There is one Amendment for insertion of a new clause, clause 1A, by Smt. Sarla Maheshwari. She is not there. She has not moved it.

SHRI ASHIS SEN: She has placed it.

SHRI P. SHIV SHANKER: She has not moved it.

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): She has not moved. I am told.

SHRI ASHIS SEN: Can I move the Amendment on her behalf with the permission of the Chair?

SHRI S. S. AHLUWALIA: He is a spokesman of the CPI(M). He is not a personal spokesman of Smt. Sarla Maheshwari.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I will not permit you.

SHRI ASHIS SEN: I agree with you. Sometimes you do otherwise. I am now trying to place you in your point. Anyway, if it is not permissible, I will not do it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): By the procedure we are bound. We must go by the procedure. I shall now put clause 2 to vote. The question is:

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (Insertion of new section 18A)

We shall now take up clause 3 of the Bill. There is one Amendment by Shri Dave. Do you like to move your Amendment?

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब देते समय यहां पर एम्बेडमेंट दिया है। माननीय पंचोरी जी और राजमोहन गांधी जी ने बताया है कि तीन साल में पांच हजार शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। अगर आप इसे टाइम बाउंड कर के नहीं निकालेंगे तो जिस तरह से हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दिन-प्रति-दिन केसेज के ढेर लगते जाते हैं, उसी तरह से यहां भी यही हालत हो जाएगी। इसलिए मैंने यह सुझाव दिया है अपने अमेंडमेंट में कि...

"and proceeding shall be completed within three months"

लेकिन आप अभी तो कर नहीं सकते हैं। जो आश्वासन आपने हाउस में दिया है तो मैं समझता हूँ कि एक परफेक्ट अमेंडमेंट बिल लाना चाहिए। बहुत से सुझाव आपके पास आए हैं। माननीय अहलुवालिया जी ने दिये, राजमोहन जी ने दिये। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ जो अभी तक किसी सदस्य ने नहीं कही और वह इलेक्ट्रिक गुड्स के बारे में है। मैं कोई बड़ी चीजों, टी.वी.ओ. इलेक्ट्रॉनिक मशीन या वाशिंग मशीन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कोई देहात का आदमी जब कोई छोटी चीज जैसे स्विच बगैरहा लेने बाजार में जाता है तो वह उसे डुप्लीकेट मिलता है। बाजार से स्विच लाकर जब घर में लगाता है तो वह चलता नहीं लेकिन कई जगहों पर कितने लोगों की शाट लग जाने से जान चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है। कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो यह डुप्लीकेट साल बेचते हैं उन पर भी कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए क्योंकि जो देहात के लोग बाजार में जाते हैं तो वे कहते हैं मुझे बजाज, फिलिप्स, क्रॉम्टन या एन्कर का माल चाहिए लेकिन दुकानदार उसको माल कोई दे देगा और कहेगा कि जाओ यह एन्कर का माल है। होगा वह डुप्लीकेट। ऐसे कई मैनुफैक्चरर देश में, दिल्ली और बम्बई आदि में हैं जो छोटी छोटी ऐसी डुप्लीकेट चीजें बनाते

हैं। इन पर रेड करना चाहिए। जो छोटे-छोटे सेल्स हैं उनको इसमें मुनाफा ज्यादा मिलता है क्योंकि वे सी०एस०टी० नहीं भरते, उन पर सेंट्रल एक्साइज नहीं लगता है। इसलिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए आप ये सब चीजें जब नया कानून लायें तो उसमें यान देकर दे जाइये। एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाइए और जो जो कम्प्लेंट्स आपके पास आये उनकी निश्चित समय मर्यादा में निकालें ऐसी भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप यह करेंगे इसीलिए यह जो मेरा अमेंडमेंट है इसे मैं वापस लेता हूँ। आई एम नाट मूविंग।

उपसभाध्यक्ष (श्री भःस्कर अन्नाजी मासोदकर) : आपके दो अमेंडमेंट्स हैं, 4 और 5।

श्री अनन्तराय डेवशंकर दवे : मैं कोई मूव नहीं कर रहा हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
I shall now put Clause 3 to vote.

The question is:

"That Clause 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 6 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI KAMALUDDIN AHMED: Sir,
I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 1991.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR):
Now, we take up the Constitution (Sche-

duled Tribes) Order (Amendment) Bill, 1991. Shri Sitaram Kesri.

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :
उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि—

"जम्मू और काश्मीर राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय जनजातियों को शामिल करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह विधेयक लाने का जो उद्देश्य है वह मैं आपके सामने विदित करता हूँ।

जम्मू-काश्मीर राज्य में गूजर तथा बकरवाल, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किए गए थे और तदनुसार इन समुदायों को संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित विभिन्न संरक्षणों के फायदे प्राप्त नहीं थे। जम्मू-काश्मीर की राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी। इस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में इन समुदायों को सम्मिलित करने के लिए लगातार मांग की जा रही थी। चूंकि लोक सभा विघटित कर दी गयी थी और राज्य सभा सब में नहीं थी अतः पूर्वोक्त परिस्थितियों में संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991 (1991 का अध्यादेश संख्यांक 3) को प्रख्यापित करना आवश्यक हो गया।

यह विधेयक, उपर्युक्त अध्यादेश को, जहाँ तक उसका संबंध संविधान (जम्मू-काश्मीर) अनुसूचित जनजातियाँ आदेश 1989 के संशोधन से है, प्रतिस्थापित करने और गददी तथा सिप्पी समुदायों को उक्त आदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, सम्मिलित करने लिए भी है।